



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1353) पटना, बुधवार, 13 अगस्त 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त 2025

सं० एल०जी०-01-10/2025-5143/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2025 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम संख्या 13, 2025]

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025

राज्य में पशुओं की उत्पादकता एवं अन्य विशेषताओं या लक्षणों में सुधार हेतु बिहार प्रजनन नीति के अनुसार पशुओं में प्रजनन के उपयोग सहित पशुओं में सीमेन और भ्रूण का उत्पादन, भंडारण, विक्रय और वितरण एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं और उससे संबंधित मामलों के लिए पशुओं में प्रजनन संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम।

जबकि राज्य में पशुओं के प्रजनन के विनियमन तथा इससे संबंधित विषयों या इसके आनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करना समीचीन है ;

इसलिए, अब यह भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार विधानमंडल द्वारा निम्न रूप में अधिनियमित हो :-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—

- (1) यह अधिनियम बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ।— इस अधिनियम में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "सलाहकार समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;
- (ख) "ए0एफ0आर0डी0" से तात्पर्य है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना;
- (ग) "पशु" से अभिप्रेत है बिहार पशु प्रजनन नीति में शामिल पशु एवं पक्षी;
- (घ) "अपीलीय प्राधिकार" पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के पदेन अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव होंगे;
- (ङ) "कृत्रिम गर्भाधान" अथवा "ए आई" से अभिप्रेत है गर्भवती करने के उद्देश्य से परिपक्व मादा के गर्भाशय में सीमेन के निक्षेपण की प्रक्रिया;
- (च) "कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता" से अभिप्रेत है ऐसे प्रतिष्ठान, परिसिमित दायित्व भागीदारी (एल0 एल0 पी0), संयुक्त उद्यम, संस्था, निर्माता संस्थान, गैर सरकारी संगठन, प्रजनक (ब्रीडर) संघ, न्यास, राज्य सरकार का विभाग या सहकारी समिति, पशुधन विकास अभिकरण, जो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करते हों;
- (छ) "कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन" (ए0आई0टी0) से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके पास सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यताएँ हों।
- (ज) "प्रजनन" से अभिप्रेत है पशुओं में प्रजनन गतिविधियाँ, जिसमें सीमेन और भ्रूण के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के लिए किसी भी पशु का उपयोग और पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान / भ्रूण प्रत्यारोपण सेवाएँ प्रदान करना शामिल है।
- (झ) "प्रजनन नीति" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में मवेशियों, भैंसों, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गी या किसी अन्य पशुओं की विभिन्न नस्लों के रख रखाव और विकास के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिसूचित राज्य नीति से है।
- (ञ) "प्रमाणित पशु" से अभिप्रेत है एक पशु जो सीमेन और भ्रूण उत्पादन के लिए निर्धारित मानक और विनिर्देशों को पूरा करना और समय-समय पर केंद्रीय / सक्षम प्राधिकार द्वारा सीमेन और भ्रूण उत्पादन के लिए निर्धारित मानक के अनुसार सीमेन स्टेशन / भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल होना।
- (ट) "केंद्रीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है इस अधिनियम में उल्लेखित प्रजनन गतिविधियों को विनियमित / निगरानी करने और सलाह देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकार।
- (ठ) "भ्रूण" से अभिप्रेत है नर पशु के शुक्राणु और मादा पशु के अंडाणु के संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित संरचना।
- (ड) "विशेषज्ञ" से अभिप्रेत है ऐसे विशेषज्ञ जो प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- (ढ) "आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम" से अभिप्रेत है, एक ऐसा कार्यक्रम, जिसके माध्यम से उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले पशुओं को माता-पिता के रूप में उपयोग करके पशुओं के भावी पीढ़ी में दुग्ध / मांस उत्पादन या किसी वांछित विशेषता के लिए उनके आनुवांशिक क्षमताओं में सुधार करने के लिए कार्यक्रम।

- (ग) "भुण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला" से अभिप्रेत है, ऐसे परिसर जहाँ अंडाणु और भुणों के संग्रहण, प्रसंस्करण, भुण उत्पादन, भंडारण और गोजातीय भुणों या किसी अन्य पशु के भूणों के स्थानांतरण के लिए सुविधा स्थापित की गई हो।
- (त) "स्थान" से अभिप्रेत है कोई भूमि, परिसर, अहाता, भवन या पात्र या वाहन या कोई अन्य स्थान, जिसका उपयोग सीमेन और भुण उत्पादन, भंडारण और/या पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान और भुण प्रत्यारोपण सेवाएँ प्रदान करने के लिए किया जाता हो;
- (थ) "निर्धारित मानक" से अभिप्रेत है, गोजातीय और अन्य पशुओं के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल केंद्रीय/राज्यकीय/सक्षम प्राधिकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा और पंजीकरण प्रमाण प्राप्तकर्ता द्वारा इसका पालन किया जाएगा।
- (द) "पंजीकरण प्राधिकार" इस अधिनियम की धारा 3 के परियोजना निदेशक, बिहार पशुधन विकास अभिकरण, पटना, बिहार पंजीकरण प्राधिकार होंगे जो इस अधिनियम के तहत सीमेन स्टेशन, भूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थानों को पंजीकरण का प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे।
- (ध) "पंजीकृत पशु चिकित्सक" से अभिप्रेत है पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक जो पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के अधीन पंजीकृत हो।
- (न) "सीमेन" से अभिप्रेत है किसी भी रूप में बिहार प्रजनन नीति में शामिल मवेशी साढ़ूँ/भैंसा साढ़ूँ/नर भेड़/नर बकरी/नर सुअर/मुर्गा या किसी अन्य पशु/पशुओं का सीमेन/सेक्सड सीमेन।
- (प) "सीमेन बैंक" से अभिप्रेत है एक ऐसा परिसर जहाँ गोजातीय सीमेन या किसी अन्य पशु/पक्षी के सीमेन का भंडारण और वितरण के लिए सुविधा स्थापित हो;
- (फ) "राज्य प्राधिकार" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या नामित प्राधिकरण।
- (ब) "सीमेन स्टेशन" से अभिप्रेत है एक ऐसा परिसर जहाँ गोजातीय सीमेन या किसी अन्य पशु के सीमेन का उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण के लिए सुविधा स्थापित।

अध्याय II

प्रशासन एवं प्रवर्तन

3. पंजीकरण प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व।-

- (i) परियोजना निदेशक, बिहार पशुधन विकास अभिकरण, पटना, बिहार इस अधिनियम के अधीन सीमेन स्टेशन, भुण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्रों, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों के पदेन पंजीकरण प्राधिकार होंगे। पंजीकरण प्राधिकार अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार को प्रतिवेदन देंगे।
- (ii) पंजीकरण प्राधिकार अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे एवं सलाहकार समिति के परामर्श से सीमेन स्टेशनों/भुण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला और कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित परिसरों की जाँच या निरीक्षण के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञों का दल गठित करेंगे, जिन्हें गोजातीय प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं, सीमेन स्टेशन, भुण प्रत्यारोपण गतिविधियों, पशुपालन, पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों का सुसंगत व्यावसायिक अनुभव हो तथा इन क्षेत्रों के प्रतिष्ठित संस्थाओं में नियोजित हों।
- (iii) सीमेन स्टेशन/भुण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाताओं के जाँच/निरीक्षण के पश्चात् विशेषज्ञ दल क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पंजीकरण प्राधिकार को सीमेन स्टेशनों/भुण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला और कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाताओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु एक प्रतिवेदन समर्पित करेगा।
- (iv) विशेषज्ञ दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में संस्थान को पंजीकरण के योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में, पंजीकरण प्राधिकार द्वारा पंजीकरण की स्वीकृति/अस्वीकृति के लिये समर्पित प्रतिवेदन की जाँच की जाएगी। अस्वीकृति के कारण से आवेदक संस्थान को भी संसूचित किया जाएगा।
- (v) पंजीकरण की प्रक्रिया (आवेदन देने की तिथि से) 90 दिनों के अवधि के भीतर पूरी की जाएगी या अधिक से अधिक 120 दिन, अन्यथा नई प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
- (vi) बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अनुश्रवण और कार्यान्वयन के लिए पंजीकरण प्राधिकार उत्तरदायी होगा तथा सलाहकार समिति को प्रतिवेदन समर्पित करेगा।

(vii) बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 का जिला स्तर पर अनुश्रवण बिहार के जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4. बिहार पशु प्रजनन सलाहकार समिति।—

(i) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित करेगी जो बिहार पशु प्रजनन सलाहकार समिति कहलाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

क. निदेशक, पशुपालन, बिहार

ख. प्रबंध निदेशक, कॉम्पेड, पटना

ग. निदेशक डेयरी, बिहार,

घ. विभागाध्यक्ष, पशुचिकित्सा प्रसूति शस्त्र एवं प्रसूति विज्ञान विभाग, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना,

ङ. विभागाध्यक्ष, पशु आनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना,

च. महाप्रबंधक, पूर्णियाँ सीमेन स्टेशन, मरंगा, पूर्णियाँ,

छ. सदस्य सचिव के रूप में विशेष उपनिदेशक, फ्रोजेन सीमेन बैंक—सह-बुल स्टेशन, पटना, बिहार।

सलाहकार समिति के सदस्य पशु प्रजनन, सीमेन/भ्रूण उत्पादन और वितरण के विभिन्न पहलुओं का अनुभव रखने वाले किसी एक विषय विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में अंगीकृत कर सकेंगे।

(ii) सलाहकार समिति को नियुक्त करने के संदर्भ में वही शर्तें लागू होंगी, जो राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करे।

(iii) सलाहकार समिति, पंजीकरण प्राधिकार/राज्य सरकार को सलाह देगी एवं पंजीकरण प्राधिकार द्वारा समर्पित विषयों को निष्पादित करने के लिए समय-समय पर बैठक करेगी। सलाहकार समिति सुनिश्चित करेगी कि पशु एवं डेयरी विभाग (डी0ए0एच0डी0)/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन0डी0डी0बी0) द्वारा, प्रजनक साँढ़, एवं अन्य पशु, सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, सीमेन/भ्रूण के भंडारण एवं वितरण तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के लिए न्यूनतम मानक और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को निर्धारित करने तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, योग्यता और अनुभव को विहित करने और प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता हेतु निर्गत मार्गदर्शिका का पालन हो।

5. अनुसूचियों/परिशिष्ट/पंजीकरण शुल्क को उपांतरित करने की शक्ति।—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी विषय के होते हुए भी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, को बिहार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की अनुसूचियों/परिशिष्ट/पंजीकरण शुल्क को उपांतरित करने की शक्ति होगी। यह प्रावधान बनाए गए नियमों के अधीन ही होगी।

6. निरीक्षण, जाँच और अभिग्रहण की शक्ति।—

(क) पंजीकरण प्राधिकार अथवा पंजीकरण प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी या विशेषज्ञों का दल, पंजीकरण के नियम एवं शर्तों तथा इस अधिनियम के किसी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से :—

i. सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला अथवा सीमेन बैंक अथवा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता या कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के किसी व्यवसायिक स्थान या परिसर में प्रवेश, निरीक्षण तथा जाँच कर सकेगा जिसमें इस आशय का कारण हो कि इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन निर्गत पंजीकरण के शर्तों का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है अथवा किया जाने वाला है;

ii. किसी सीमेन स्टेशन या सीमेन बैंक या कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता या कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के परिसर से सीमेन उत्पादन या सीमेन भंडारण या कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं में प्रयुक्त सीमेन/भ्रूण या किसी अन्य सामग्री का नमूना एकत्र कर सकेगा और पंजीकरण प्राधिकार, प्राधिकृत प्रयोगशाला से ऐसे नमूने को विश्लेषित करा सकेगा तथा परिसर से ऐसे साँढ़ों/गोजातीय पशुओं को भी अभिग्रहित करेगा जो सीमेन/भ्रूण उत्पादन के लिए विधिवत् रूप से प्रमाणित न हो; अथवा ऐसी अन्य जाँच कर सकेगा जो अपेक्षित हो, एवं ऐसे परिसरों में पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारकों तथा अन्य कार्यरत व्यक्तियों से कथन ले सकेगा और उसके अभिलेखों की जाँच कर सकेगा;

(ख) जहाँ तक हो सके, जाँच और अभिग्रहण से संबंधित भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, 2023 के उपबंध उपधारा 6 (क) (i) और (ii) के प्रावधान तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे।

- (ग) प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक जिसमें प्रमाणित कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन शामिल हैं, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में पंजीकरण प्राधिकार द्वारा निर्गत किसी निदेश या आदेश से आबद्ध होगा और ऐसे निदेश या आदेश का अनुपालन करेगा तथा इस तरह के निदेश या आदेश के अनुपालन में उसकी ओर से विफल होने पर इस अधिनियम का उल्लंघन समझा जाएगा।
- (घ) मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा हस्ताक्षरित और निर्गत कोई दस्तावेज जो प्रतिवेदन होने के लिए तात्पर्यित है, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों में कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा।
- (ङ) सभी स्थानीय प्राधिकारी, आवश्यकतानुसार पंजीकरण प्राधिकार को ऐसी सहायता एवं मदद प्रदान करेंगे और ऐसी सूचना उपलब्ध करायेंगे जो उसके कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हो तथा निरीक्षण और जाँच के लिए संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे।
- (च) पंजीकरण प्राधिकार आवश्यकतानुसार अपनी निधियों या क्रियाकलापों से संबंधित प्रतिवेदन, विवरणी, आँकड़े एवं अन्य सूचना समय-समय पर सरकार को उपलब्ध कराएँगे।
- (छ) किसी विषय, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन गठित अपीलीय प्राधिकार सशक्त है, के संबंध में किसी व्यवहार न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा कि कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण कर सके।
- (ज) पंजीकरण प्राधिकार, प्राधिकार के किसी पदाधिकारी या कर्म के विरुद्ध, किसी भी कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं चलाई जायेंगी जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी नियम या दिए गए आदेश के अनुसरण में किसी विषय के संबंध में सद्भावपूर्वक की गयी है अथवा किये जाने हेतु आशयित हो।
- (झ) सरकार सीधे अथवा अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम की इस धारा 3, तथा 6 से भिन्न धाराओं के अधीन उनके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या कुछ शक्तियाँ ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो।
- (ञ) जब कभी सक्षम प्राधिकार द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है तो वह व्यक्ति जिसे शक्ति प्रत्यायोजित की गयी हो, सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।
- (ट) सरकार द्वारा, प्राधिकार का शक्ति प्रदत्त कोई सदस्य या पदाधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय या किसी कर्तव्य का निष्पादन करते समय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 21 के अन्तर्गत एक "लोक सेवक" समझा जाएगा।
- (ठ) इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार, बिहार सरकार के राजपत्र में साधारण या विशेष आदेश प्रकाशित कर ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो और उक्त कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन हो।
- (ड) सरकार इस अधिनियम के किसी अथवा सभी प्रयोजनों (उद्देश्यों) को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी:-
- इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम बिहार सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे और जबतक कि वे किसी विशेष दिन से प्रभावी होने के लिए अभिव्यक्त न हों, उस दिन से प्रभावी होंगे, जिस दिन वे प्रकाशित किए गए हो।
 - इस अधिनियम के तहत निर्गत सभी अधिसूचनाएँ, जबतक कि किसी विशेष दिन से प्रभावी होने के लिए अभिव्यक्त न हों, उस दिन से प्रभावी होंगे-जिस दिन वे प्रकाशित किए गए हैं।
- (ढ) इस अधिनियम के अधीन बना प्रत्येक नियम, निर्गत प्रत्येक अधिसूचना या आदेश, इसके बनने या निर्गत होने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा और यदि सत्र जिसमें यह रखा जाता है, की समाप्ति के पूर्व या अगले सत्र में विधान सभा ऐसे किसी नियम, अधिसूचना या आदेश में कोई परिवर्तन करती है या विधान सभा निर्णय लेती है कि नियम, अधिसूचना या आदेश नहीं बनाया या निर्गत किया जाना चाहिए तो इसके पश्चात् नियम, अधिसूचना या आदेश केवल परिवर्तित रूप से प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई परिवर्तन या विलोपीकरण इस नियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन पूर्व में की गयी किसी भी विषय की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

7. अभिलेखों का अनुरक्षण एवं विवरणियों का प्रस्तुतिकरण।-

- पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक अपने व्यवसाय से संबंधित बही, लेखा एवं अभिलेख ऐसे प्रपत्र में अनुरक्षित करेगा जो पंजीकरण प्राधिकार द्वारा इस निमित्त विहित किए गए हों।
- सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के लिए प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक द्वारा प्रयुक्त सौंदर्य एवं उत्पादित सीमेन स्ट्रु/भ्रूणों की संख्या का अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन/विवरणी दो प्रतियों में समर्पित किया जाएगा, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के रूप में प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक द्वारा कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों की संख्या और किए गए कृत्रिम गर्भाधान की संख्या/ भ्रूण प्रत्यारोपण की संख्या का मासिक प्रतिवेदन/विवरणी दो प्रतियों में समर्पित किया जाएगा, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान के रूप में प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक द्वारा पंजीकृत पशु चिकित्सकों, जिनके पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण दिया गया था, के नाम की सूची के साथ प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों की दो प्रतियों में अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन/विवरणी समर्पित किया जाएगा। प्रतिवेदन हेतु संबंधित प्रपत्र पंजीकरण प्राधिकार के पास उपलब्ध होंगे।

8. दण्ड।-

(i) बिना पंजीकरण के कार्य करना:-

क. सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता या कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान के लिए-यदि कोई भी सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता या कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, पंजीकरण प्राधिकार के माध्यम से पंजीकृत नहीं होता है या बिना पंजीकरण के कार्य करता है, तो उसे निम्न दिए गए जुर्माने से दंडित किया जाएगा:-

- सीमेन स्टेशन- रुपये 15 (पंद्रह) लाख मात्र।
- व्यावसायिक रूप से भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला- रुपये 05 (पाँच) लाख मात्र।
- कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता- रुपये 10 (दस) लाख मात्र।
- कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान-रुपये 05 (पाँच) लाख मात्र।

ख. बिना पंजीकरण काम करने वाले कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के लिए यदि कोई कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन किसी भी कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के पास खुद को पंजीकृत किए बिना कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करता है तो इस अधिनियम के तहत उसे रुपये 15 (पंद्रह) हजार मात्र के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

(ii) पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति- उपरोक्त धारा 8 में उल्लेखित पंजीकृत सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला/कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता/कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए तीन महीने की छूट अवधि दी जाएगी। यदि उल्लेखित संस्थाएँ छूट अवधि के भीतर अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करती हैं, तो वे निम्न वर्णित विलंब जुर्माना जिसकी अवधि पंजीकरण की समाप्ति के बाद तीन महीने से लेकर छह महीने के भीतर है, भुगतान के बाद ही अपना पंजीकरण नवीनीकृत कर सकती हैं।

- सीमेन स्टेशन-रुपये 5,000/- (पाँच हजार) मात्र
- व्यावसायिक रूप से क्रियात्मक भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला-रुपये 5,000/- (पाँच हजार) मात्र
- कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता- रुपये 4,000/- (चार हजार) मात्र।
- कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान-रुपये 4,000/- (चार हजार) मात्र।
- कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन- रुपये 500/- (पाँच सौ) मात्र।

प्रमाण-पत्र की समाप्ति के छह महीने बाद उन्हें बिना पंजीकरण के काम करते हुए माना जाएगा और तदनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(iii) नियमों का उल्लंघन- कोई भी इकाई जिसे इस अधिनियम के अध्याय III के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है और उसने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या निर्धारित किसी भी मानक का उल्लंघन किया है, तो उसे निम्नलिखित जुर्माने से दंडित किया जाएगा:-

- सीमेन स्टेशन-रुपये 5,00,000/- (पाँच लाख) मात्र।
- व्यावसायिक रूप से क्रियात्मक भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला-रुपये 2,00,000/- (दो लाख) मात्र।
- कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता-रुपये 4,00,000/- (चार लाख) मात्र।
- कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान-रुपये 2,00,000/- (दो लाख) मात्र।
- कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन-रुपये 5,000/- (पाँच हजार) मात्र।

अध्याय-III

सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का पंजीकरण

9. सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला का पंजीकरण।—

- I. इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से ही कोई व्यक्ति, प्रतिष्ठान, परिसीमित दायित्व भागीदारी (एल एल पी), कंपनी, संस्थान, सहकारी समिति, पशुधन विकास बोर्ड/एजेंसी या राज्य सरकार के विभाग, पंजीकरण प्राधिकार से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमेन स्टेशन/भ्रूणों के उत्पादन हेतु सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला स्थापित और संचालित नहीं करेगा।
- II. पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए प्रपत्र 'क' में प्रत्येक निजी सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की 2 (दो) वर्षों की वैधता के साथ पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क रु 25,000/- (पच्चीस हजार) मात्र तथा प्रत्येक 2 (दो) वर्षों की वैधता के साथ नवीकरण के लिए रु 10,000/- (दस हजार) मात्र होगी बशर्ते की सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की ग्रेडिंग ग्रेड-ए या ग्रेड-बी से कम ना हों। सरकारी (या योजना के तहत सरकार द्वारा वित्तपोषित) सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला पंजीकरण शुल्क के भुगतान से मुक्त है।
- III. इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से तीन माह के अन्दर मौजूदा सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, सीमेन उत्पादन/भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए, पंजीकरण की स्वीकृति हेतु पंजीकरण प्राधिकार को आवेदन करेंगे।
- IV. इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से ही कोई भी सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, किसी भी सांड/नर बकरा/नर भेड़/नर सुकर/मुर्गा या अन्य पशु से सीमेन/भ्रूण का उत्पादन नहीं करेगा सिवाय उन पशुओं के जो भारत सरकार द्वारा जारी निर्धारित मानक या पंजीकरण प्राधिकार द्वारा समय समय पर तय किए गए मानक के अनुरूप हैं।
- V. धारा 9(ii) के अधीन पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पंजीकरण प्राधिकार को प्रपत्र "क" में विहित शुल्क के साथ किया जाएगा।
- VI. जब किसी नये सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के लिए पंजीकरण प्राप्त करने का आवेदन प्राधिकार को किया जाता है तो पंजीकरण प्राधिकार अंतिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र का निर्गमन लंबित रहने तक नये सीमेन स्टेशन को स्थापित करने के लिए लिखित में अस्थायी रूप से अनुमति दे सकेगा। ऐसी अस्थायी अनुमति इसके निर्गत होने की तिथि से 24 माह तक के लिए वैध होगी, जिसमें आवेदक आवश्यकताओं के अनुपालन को दिखाने के लिए पंजीकरण प्राधिकार के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा। आवेदक अपने नियंत्रण से परे कारणों की दशा में उसे उल्लेखित करते हुए अस्थायी अनुमति की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेगा। पंजीकरण प्राधिकार (विलंब के कारणों के सत्यापन होने पर) छह माह तक की अवधि के विस्तार की अनुमति दे सकेगा। सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला अंतिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना और निर्धारित मानक (पंजीकरण प्राधिकार से समय समय पर प्राप्त/जारी किया जा सकता है) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किए जाने तक और सक्षम प्राधिकार द्वारा समय समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुपालन किए जाने तक, वाणिज्यिक रूप से संचालित नहीं होगा।
- VII. जब किसी मौजूदा सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के लिए पंजीकरण प्राप्त करने का आवेदन पंजीकरण प्राधिकार को किया जाता है तो पंजीकरण प्राधिकार अंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गमन लंबित रहने तक सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला को संचालित करने के लिए लिखित में अस्थायी रूप से अनुमति दे सकेगा बशर्ते कि निर्धारित मानक में निर्दिष्ट जाँच नकारात्मक न हो। ऐसी अस्थायी अनुमति इसके निर्गत होने की तिथि से 12 माह तक के लिए वैध होगी जिसमें आवेदक जो अनुसूची I, अनुसूची II और अनुसूची III में और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करने हेतु व्यवस्था करेगा।
- VIII. नये सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला या मौजूदा सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के लिए पंजीकरण की स्वीकृति हेतु निरीक्षण का अनुरोध प्राप्त होने पर पंजीकरण प्राधिकार ऐसे निरीक्षण/जाँच के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजेगा और संतोष जनक निरीक्षण प्रतिवेदन के बाद, निर्धारित मानक एवं सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद इसे जारी कर सकता है।

नये सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला या मौजूदा सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला को स्टेशन/प्रयोगशाला के नाम और पता, पंजीकरण संख्या, सीमेन उत्पादन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के लिए प्रयुक्त साँड़ों की अलग-अलग पहचान संख्या, सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला हेतु उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम और ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें जो

- प्रपत्र-ख के अनुसार उचित समझे जायें, को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट कर पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वीकृत करेगा। किसी साँढ़ को स्वीकृत पंजीकरण प्रमाणपत्र उसके जीवन में कभी भी रद्द किया जाएगा, यदि वह निर्धारित मानक के तहत विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता हो।
- IX. किसी भी सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला को निर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र 2 (दो) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा या समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी आदेश/लिए गए निर्णय, के अनुसार होगा। सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के कम से कम 3 (तीन) माह पूर्व पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु प्राधिकार को आवेदन करेगा। पंजीकरण प्राधिकार यह संतुष्ट होने के पश्चात् कि निर्धारित मानक के अनुसार निर्गत पंजीकरण की शर्तों का पालन किया गया है, तो वह आवेदक द्वारा आवेदन करने की तिथि के तीन माह के अन्दर पंजीकरण का नवीकरण अगले दो वर्षों के लिए करेगा। सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला में नये साँढ़/नर बकरा/नर भेड़/नर सुकर/मुर्गा या अन्य पशु, जो सीमेन उत्पादन के मानकों को पूरा करते हों, को शामिल करने के पूर्व ऐसे साँढ़/नर बकरा/नर भेड़/नर सुकर/मुर्गा या अन्य पशु के ब्यौरे संगठन में उनके शामिल करने के एक माह पूर्व प्रपत्र-‘अ’ में पंजीकरण प्राधिकार को अनुमोदन के लिए संसूचित किया जाएगा। यदि एक माह के अन्दर अनुमोदन नहीं प्राप्त हो तो यह अन्यथा संसूचित होने तक अनुमोदित समझा जाएगा।
- X. पंजीकरण प्राधिकार आवेदक को सुने जाने का अवसर देने एवं लिखित में कारणों को दर्ज करने के पश्चात् पंजीकरण को स्वीकृत या नवीनीकृत करने से इंकार कर सकेगा।
- XI. जब कभी वांछित हो, पंजीकरण प्राधिकार निर्धारित मानक के अनुसार पंजीकरण प्रमाण-पत्र के शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इच्छानुसार अथवा वर्ष में कम से कम एक बार विशेषज्ञों का एक दल निरीक्षण हेतु सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला भेजेगा।
- XII. शोध और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ शोध संस्थानों या विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित सीमेन/भ्रूण उत्पादन सुविधा/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला को सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने की बाध्यता से छूट होगी। ऐसे सीमेन स्टेशन/ भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, सीमेन का व्यापार नहीं करेंगे अथवा व्यवसायिक रूप से कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के रूप में कार्य नहीं करेंगे जब तक की इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राधिकार से अनुमति प्राप्त न कर लें।
10. कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का पंजीकरण।-
- I. इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से पशुधन विकास बोर्ड/एजेंसी या राज्य का पशुपालन विभाग को छोड़ पंजीकरण प्राधिकार से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, परिसीमित दायित्व भागीदारी (एल0 एल0 पी0), कंपनी, संस्था, गैर सरकारी संगठन, प्रजनक संघ, न्यास, सहकारी समिति, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान नहीं करेगा।
- II. कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को तभी कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी जब वे पंजीकरण प्राधिकार से पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के अधीन कार्यरत हों। किसी व्यक्ति/निजी कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- III. मौजूदा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता इस अधिनियम की प्रभावी तिथि से तीन माह के अन्दर कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान करने के लिए पंजीकरण की स्वीकृति हेतु पंजीकरण प्राधिकार को आवेदन करेगा।
- IV. कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के पंजीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन विहित शुल्क के साथ पंजीकरण प्राधिकार को किया जाएगा। पाँच (5) वर्ष की वैधता के साथ पंजीकरण का विहित शुल्क रु 20,000/- (बीस हजार) मात्र तथा पाँच (5) वर्ष की वैधता के साथ नवीनीकरण का विहित शुल्क रु 10,000/- (दस हजार) मात्र होगी।
- V. उपधारा 10(iii) और 10(iv) के अधीन पंजीकरण/नवीनीकरण का प्रत्येक आवेदन प्रपत्र ‘ग’ में विहित शुल्क के साथ पंजीकरण प्राधिकार को किया जाएगा।
- VI. पंजीकरण की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर पंजीकरण प्राधिकार स्वयं द्वारा गठित विशेषज्ञों का एक दल जाँच/निरीक्षण के लिए भेजेगा और अपनी संतुष्टि के पश्चात् कि कृत्रिम सेवा प्रदाता :-
- (क) सीमेन/भ्रूण की प्राप्ति, भंडारण एवं वितरण करने की व्यवस्था कर ली है जो निर्धारित मानक में अधिकथित है।
- (ख) अधिनियम के अधीन पंजीकृत भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला/सी0एम0यू0 द्वारा प्रत्यायित श्रेणी ‘ए’ या ‘बी’ के सीमेन स्टेशन के प्रमाणित साँढ़/नर बकरा/नर भेड़/नर सुकर/मुर्गा या अन्य पशु से ही भ्रूण/सीमेन प्राप्त करता है और राज्य प्रजनन नीति का अनुसरण करता है।

आयात करता है, न वितरण करता है, न प्रदान करता हो, सिवाय इसके कि सामान स्ट्रॉ ऐसे सीमेन स्टेशन में उत्पादित हो जो भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डी०ए०एच०डी०) के नवीनतम रेटिंग के अनुसार "ए" या "बी" में श्रेणीबद्ध हो एवं ऐसी विधि और ऐसी शर्तों के तहत प्राधिकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो, जो विहित किया जा सके।

- (घ) सिवाय प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी विधि और ऐसी शर्तों के अधीन स्वीकृत हो, अन्य राज्यों/देश से बिहार राज्य में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमेन/भ्रूण का आयात/अंतरण नहीं करता है बशर्ते कि उपरोक्त शर्तों के अधीन निर्धारित किया जा सके।
 - (ङ) वैसे कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को नियोजित किया गया हो, जो कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को प्रदान करने के लिए समय-समय पर पंजीकरण प्राधिकार द्वारा यथाविहित योग्यता और अनुभव रखता हो और जो उनकी ओर से कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान करता हो तथा पंजीकरण प्राधिकार द्वारा यथाविहित अभिलेख संचारित करता हो;
 - (च) राज्य सरकार की अनुमोदित प्रजनन नीति के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान करता है;
 - (छ) कृत्रिम गर्भाधान प्रदाता द्वारा नियोजित किसी कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के अलावा या पंजीकरण प्राधिकार से पंजीकरण प्रमाण-पत्र नहीं रखने वाले अन्य कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता को सीमेन की आपूर्ति नहीं करता है, और
 - (ज) पंजीकरण प्राधिकार के पास उपलब्ध निर्धारित मानक में अधिकथित मार्गदर्शिका के अनुरूप है। पंजीकरण प्राधिकार कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा जिसमें सेवा प्रदाता का नाम और पता, पंजीयन संख्या, सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित जवाबदेह पदाधिकारी का नाम और ऐसे अन्य नियम एवं शर्तें, जो प्रपत्र घ के अनुसार उचित समझा जाय, स्पष्ट रूप से उल्लेखित होंगी।
- VII. पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के तीन माह पूर्व किया जाएगा। पंजीकरण प्राधिकार यह संतुष्ट होने के पश्चात् कि निर्धारित मानक के अनुरूप पंजीकरण की शर्तों का पालन किया गया है, आवेदक द्वारा आवेदन करने की तिथि से तीन माह के अन्दर अगले पाँच वर्षों के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाएगा।
- VIII. आवेदक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् पंजीकरण प्राधिकार कारणों को लिखित में दर्ज कर पंजीकरण को स्वीकृत करने या नवीनीकृत करने से इंकार कर सकेगा।
- IX. पंजीकरण प्राधिकार जब कभी वांछित हो सीमेन की प्राप्ति, भंडारण और वितरण की सुविधा/व्यवस्था, सीमेन के क्रय और एवं प्रयोग संबंधी अभिलेख, कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों के कार्य की वर्ष में कम से कम एक बार जाँच करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेज सकेगा ताकि निर्धारित मानक के अनुसार निर्गत पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- X. पंजीकरण प्राधिकार कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता से इस आशय का वचन/शपथपत्र ले सकेगा कि वह पूरी तरह से दिशा-निर्देशों का पालन करेगा तथा सीमेन के क्रय करने स्रोत तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों द्वारा सीमेन प्राप्त कर (मासिक प्रतिवेदन) किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान की संख्या से संबंधित सूचना प्रदान करने से आबद्ध होगा।

11. कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों का पंजीकरण।—इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से ही कोई व्यक्ति कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का कार्य नहीं करेगा एवं किसी कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के लिए अपनी सेवा प्रदान नहीं करेगा जब तक कि वह :—

- (i) किसी मान्यता प्राप्त कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थानों से विहित प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया हो;
- (ii) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान/ कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता/ सीमेन स्टेशन के माध्यम से पंजीकरण प्राधिकार को प्रपत्र "ड" में योग्यता और अनुभव (यदि कोई हो) के सहायक दस्तावेजों और रुपये 1000/— (एक हजार) मात्र की पंजीकरण शुल्क वैधता 5 (पाँच) वर्ष के साथ जिसे रुपये 500/— (पाँच सौ) मात्र की राशि में नवीनीकरण किया जा सकेगा, आवेदन करना होगा।
- (iii) इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता अपने साथ संलग्न अप्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से उनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक वचनबद्ध-सह-शपथपत्र

प्रस्तुत करके पंजीकरण प्राधिकार के माध्यम से उनके अधीन काम करने वाले सभी अप्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन औपबधिक पंजीकरण प्राप्त करना होगा। यदि कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता दिए गए समय सीमा के भीतर अपने अधीन काम करने वाले सभी अप्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को उल्लेखित प्रशिक्षण प्राप्त करने में विफल रहता है, तो कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता ऐसे अप्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को कोई सहायता (सीमेन या तरल नाईट्रोजन आदि) प्रदान नहीं करेगा।

- (iv) इस अधिनियम के तहत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन अपने कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता को, जिसके माध्यम से वे पंजीकृत हैं, राज्य में किसी अन्य पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के साथ कार्य करने के लिए, पंजीकरण प्राधिकार को रुपये 500/- (पाँच सौ) मात्र पंजीकरण शुल्क (प्रपत्र-ड) का भुगतान कर, बदलने के लिए पात्र होंगे।
- (v) पंजीकृत पशु चिकित्सक और पशुपालन विभाग, बिहार सरकार के अधीन कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, को कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए प्रमाणपत्र रखने की बाध्यता से छूट होगी।

कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश के अनुसार तथा राज्य प्रजनन नीति के उपबंधों के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान कार्य करेंगे और कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता या सीमेन स्टेशन को विहित प्रपत्र में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएँगे जहाँ वो पंजीकृत हैं, इसमें विफल होने पर उनका पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा जब तक आवश्यक सुधार न कर दिये जाये।

12. कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान :-

- इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से ही कोई व्यक्ति, प्रतिष्ठान, परिसीमित दायित्व भागीदारी (एल एल पी, कंपनी), संस्थान, गैर सरकारी संगठन, प्रजनन संघ, न्यास, सहकारी समिति, पशुधन विकास बोर्ड/अभिकरण या राज्य/केन्द्र सरकार का विभाग पंजीकरण प्राधिकार से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना कृत्रिम गर्भाधान सेवा में प्रशिक्षण नहीं देगा।
- विद्यमान/नए कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्था इस अधिनियम की प्रभावी तिथि से तीन माह के अन्दर कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण देने के लिए पंजीकरण की स्वीकृति हेतु पंजीकरण प्राधिकार को आवेदन करेगा। प्रशिक्षण संस्थाओं को इस बाध्यता के साथ अधिकतम छह माह तक प्रशिक्षण देने की अनुमति दी जाएगी कि प्रशिक्षण संस्थाओं के पंजीकरण के पश्चात् प्रमाण-पत्र निर्गत किए जा सकेंगे।
- उपधारा (i) और (ii) के अधीन पंजीकरण/नवीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन पंजीकरण प्राधिकार को विहित शुल्क के साथ प्रपत्र "छ" में किया जाएगा। तीन (3) वर्ष की वैधता के साथ पंजीकरण का विहित शुल्क रु 20,000/- (बीस हजार) मात्र तथा प्रत्येक 3 वर्ष पर तीन (3) वर्ष की वैधता के साथ नवीनीकरण का विहित शुल्क रु 10,000/- (दस हजार) मात्र होगा। पशुधन विकास बोर्ड/ अभिकरण या राज्य/ केन्द्र सरकार के विभाग को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।
- पंजीकरण की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त होने पर पंजीकरण प्राधिकार जाँच/निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजेगा और यह संतुष्ट करने के पश्चात् कि कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्था :-

- सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए समय-समय पर पंजीकरण प्राधिकार द्वारा यथा अनुमोदित एवं उपांतरित मानक पाठ्यक्रम और अवधि का अनुपालन करता है;
- शिक्षण सामग्री के साथ कक्षाओं की व्यवस्था एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए जीवित पशुओं के (पाँच प्रशिक्षणार्थी हेतु एक पशु) प्रजनन अंगों का बाह्य एवं अंतर्स्पर्श हेतु एवं निर्धारित मानक में अधिकथित कृत्रिम गर्भाधान करने की व्यवस्था रखता है;
- कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता संस्थान के पास अपने प्रशिक्षणार्थियों को पंजीकरण प्राधिकार द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर चुका हो और ए0आई0 गन को प्रजनन अंगों में तकनीकी रूप से प्रवेश कराने की योग्यता के लिये संबंधित पशु चिकित्सक से प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा;
- निबंधित पशु चिकित्सक, जिसके पर्यवेक्षण में संस्थान में प्रशिक्षण देता है;
- प्रशिक्षण केन्द्र केवल विज्ञान संकाय में बारहवीं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन कर सकेगा; तथापि मैत्री (MAITRI) कार्यान्वित करने वाले संगठन बारहवीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन करने का प्रयास करेंगे तथा यदि भारत सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के दशा में दसवीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन हेतु छूट दे सकेंगे;

- (च) प्रशिक्षण संस्थान का नाम और पता, पंजीकरण संख्या, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नियोजित जवाबदेह पदाधिकारी का नाम और ऐसे अन्य नियंधन और शर्तों जो प्रपत्र-“ज” के अनुसार उचित प्रतीत हों, को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करके कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान को पंजीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत करेगा।
- v. पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के 3 (तीन) माह पूर्व किया जाएगा। पंजीकरण प्राधिकार इस आशय का समाधान करने के पश्चात् कि निर्धारित मानक के अनुरूप निर्गत पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन किया गया है, आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने की तिथि से तीन माह के अन्दर अगले तीन वर्षों के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण करेगा।
- vi. पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान मौजूदा कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों, जिनके पास कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए विहित योग्यता नहीं है, के कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है और वे सही पाये गये तो उन्हें राज्य में कृत्रिम गर्भाधान सेवा जारी रखने की अनुमति का प्रमाण-पत्र दे सकता है।
- vii. पंजीकरण प्राधिकार आवेदक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् कारणों को लिखित में दर्ज कर पंजीकरण को स्वीकृत करने या नवीनीकृत करने से इंकार कर सकेगा।
- viii. जब कभी वांछित हो पंजीकरण प्राधिकार निर्धारित मानक के अनुरूप निर्गत पंजीकरण की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये वर्ष में कम से कम एक बार विशेषज्ञों का एक दल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थापित किये गये शैक्षणिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के सुविधाओं की निरीक्षण के लिए भेज सकेगा।

13. पंजीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति।—यदि इस अधिनियम के अधीन निर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र विरूपित हो जाय, खो जाय या नष्ट हो जाय तो पंजीकरण प्राधिकार, यदि संतुष्ट हो, तो आवेदक को एक हजार रुपये शुल्क का भुगतान करने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति स्वीकृत कर सकेगा।

14. पंजीकरण प्रमाण-पत्र का प्रतिसंहरण।—यदि पंजीकरण प्राधिकार या तो इस निमित्त किए गए संदर्भ अथवा अन्यथा पर संतुष्ट हो जाये कि :-

- (क) इस अध्याय के अधीन उसके द्वारा स्वीकृत पंजीकरण प्रमाण-पत्र दुर्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है; अथवा
- (ख) पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक युक्तिसंगत कारण के बिना उन शर्तों के अनुपालन में विफल रहा है जिसके अधीन प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया है, या इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है या अनुसूचियों में अधिकथित शर्तों का अनुपालन नहीं किया है,
- (ग) पंजीकरण प्राधिकार किसी अन्य शास्ति, जिसका प्रमाण-पत्र धारक इस अधिनियम के अधीन भागी है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा प्रमाण-पत्र धारक को कारण पृच्छा का अवसर देने के पश्चात् प्रमाण-पत्र प्रतिसंहृत कर सकेगा।

15. अपील।—

- I. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति या नवीनीकरण से इंकार किये जाने या पंजीकरण प्राधिकार द्वारा पंजीकरण के प्रतिसंहरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अपील कर सकेगा।
- II. इस खंड के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाय।
- III. अपील का निष्पादन लंबित रहने पर अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के निदेश दे सकेगा कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति या नवीनीकरण से इंकार करने का आदेश या पंजीकरण प्रमाण-पत्र के प्रतिसंहरण या निलंबन आदेश तबतक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अपील निष्पादित न कर दी जाय।

पीएस. रोगों के प्रबंधन के बारे में अनुसूची, प्रपत्र तथा विवरण पंजीकरण प्राधिकारी से प्राप्त किए जाएंगे।

अध्याय-IV
अन्यान्य

16. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।—

- इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजपत्र में साधारण या विशेष आदेश प्रकाशित कर ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो एवं कठिनाई को दूर करने में आवश्यक प्रतीत हो :
- इस धारा के तहत तैयार किया गया प्रत्येक आदेश, तैयार किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

17. नीधि।—पंजीकरण शुल्क, नवीकरण शुल्क या उल्लेखित उद्देश्यों के लिए किसी अन्य शुल्क के माध्यम से एकत्रित की गई राशि को चक्रकोष के रूप में रखा जाएगा और अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा तय किए गए पशु नस्ल सुधार संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा।

18. अनुसूचियाँ, प्रपत्र और अनुलग्नक में संशोधन करने हेतु सक्षम प्राधिकार।—गोजातीय (या गोजातीय सहित) के अलावा अन्य पशुओं के लिए अनुसूचियाँ, प्रपत्र और अनुलग्नक, भारत सरकार/अपीलीय प्राधिकार/पंजीकरण प्राधिकार/सक्षम प्राधिकार द्वारा आवश्यकतानुसार जारी/अद्यतन किए जा सकते हैं।

19. अधिनियम के हिन्दी और अंग्रेजी पाठ में अंतर होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ का मान्य होना।—इस अधिनियम के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण के बीच अस्पष्टता/विरोधाभास की दशा में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

फारम (प्रपत्र) - 'क'

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला/सीमेन स्टेशन का पंजीकरण/पंजीकरण का नवीकरण हेतु आवेदन

- आवेदक का नाम :
- आवेदक का पूरा पता :
- आवेदक के निदेशक, स्वत्वधारी, भागीदार, स्वामी इत्यादि के नाम :
- सीमेन स्टेशन/ भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की अवस्थिति :
- प्रस्तावित/संस्थापित वार्षिक सीमेन/भ्रूण उत्पादन क्षमता (सीमेन हेतु लाख खुराक प्रतिवर्ष और भ्रूणों की संख्या प्रतिवर्ष) :
- सीमेन संग्रह हेतु प्रस्तावित प्रजनन साँढ़ की सूची/भ्रूण उत्पादन (विहित प्रपत्र में) :
- संलग्न व्यक्तियों की सूची एवं उनकी अर्हता :
- सीमेन स्टेशन/भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की पंजीकरण सं०, नवीकरण की स्थिति में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति सहित :
- पंजीकरण/ नवीकरण शुल्क विवरण राशि:

विशिष्ट	नगद की स्थिति में	यदि डी० डी० (डिमांड ड्राफ्ट)
	राशि प्राप्ति रसिद संख्या	डी० डी० संख्या :
		दिनांक :
		बैंक :
		शाखा का नाम :

मैं/हम एतद् द्वारा बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के सभी प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम:

पदनाम:

स्थान :

तिथि :

हस्ताक्षर

प्रपत्र 'ख'

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन सीमेन स्टेशन/ भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

यह पंजीकरण व्यावसायिक परिसर प्रमुख और विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का नाम और पता :-	पंजीकरण संख्या :-
सीमेन स्टेशन/ भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की अवस्थिति	से..... तक (दो वर्षों के लिए पंजीकरण वैध अथवा सक्षम अधिकार द्वारा लिया गया निर्णय)
प्रमाणित सौंदर्य/डोनर मादा पशु की सूची संलग्न बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण प्रदान किया जाता है। पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक समय-समय पर पंजीकरण प्राधिकार द्वारा निर्गत विनिर्देशों के अनुरूप और सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा।	

स्थान :-

दिनांक:-

.....
(पंजीकरण प्राधिकार)

प्रपत्र 'ग'

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का पंजीकरण/
पंजीकरण का नवीकरण हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम:
2. आवेदक का पूरा पता:
3. आवेदक के निदेशकों, स्वत्वधारियों, भागीदारों, स्वामियों इत्यादि के नाम:-
4. प्रस्तावित या विद्यमान संचालन क्षेत्र : जिलों के नाम :
5. आवेदक द्वारा लगाये गए कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की सूची (विहित प्रतिवेदन) : पी.एस. चूँकि कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन बार-बार कृत्रिम गर्भाधान कार्य से छुट्टी लेते हैं, अद्यतन सूची की अर्द्धवार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जानी है।
6. कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता की पंजीकरण संख्या, नवीकरण की स्थिति में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति सहित,
7. पंजीकरण/नवीकरण शुल्क विवरण राशि:

विशिष्ट	नगद की स्थिति में	यदि डी0 डी0 (डिमांड ड्राफ्ट)
	राशि प्राप्ति रसिद संख्या	डी0 डी0 संख्या :
		दिनांक :
		बैंक :
		शाखा का नाम :

एतद् द्वारा मैं/हम बिहार गोजातीय प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के सभी प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

पदनाम :

हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

प्रपत्र-घ

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का पंजीकरण प्रमाण-पत्र

यह पंजीकरण व्यावसायिक परिसर के प्रमुख और विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा

नाम:-

पंजीकरण संख्या :-

पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का पता :-

..... से (पाँच वर्षों तक पंजीकरण वैध)।

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण प्रदान किया जाता है।

पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक समय-समय पर पंजीकरण प्राधिकार द्वारा निर्गत विनिर्देशों के अनुरूप और सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

स्थान:-

दिनांक :-

.....
(पंजीकरण प्राधिकार)

प्रपत्र- 'ड'

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का पंजीकरण/
पंजीकरण का नवीकरण हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक का पूरा पता :
3. आवेदक की शैक्षणिक अर्हता
4. प्रशिक्षण प्राप्त -संस्थान का नाम, अवधि, प्रदान किया गया प्रमाण-पत्र :
5. कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के रूप में अनुभव के वर्षों की संख्या
6. प्रस्तावित/विद्यमान संचालन क्षेत्र :
राज्य : जिला : ग्राम का नाम :
7. कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की पंजीकरण संख्या, नवीकरण की स्थिति में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति सहित,
8. कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान का नाम/ कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का नाम
9. पंजीकरण/ नवीकरण शुल्क विवरण राशि:

विशिष्ट	नगद की स्थिति में	यदि डी0 डी0 (डिमांड ड्राफ्ट)
	राशि प्राप्ति रसिद संख्या	डी0 डी0 संख्या :
		दिनांक :
		बैंक :
		शाखा का नाम :

एतद् द्वारा मैं/हम बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के सभी प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

पदनाम :

हस्ताक्षर:-

स्थान:-

दिनांक :-

प्रपत्र- 'च'

विहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान करने वाले कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन इस पंजीकरण प्रमाण-पत्र को साथ में रखेंगे	
नाम :-	पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का नाम जिसे पंजीकृत किया गया है। पंजीकरण संख्या -
पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का पता	 से (पाँच वर्षों तक पंजीकरण वैध)
बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण प्रदान किया जाता है। पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक समय-समय पर राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत विनिर्देशों के अनुरूप और सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा।	

स्थान :-.....

दिनांक :-

(कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता)

प्रपत्र- 'छ'

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन प्रशिक्षण संस्थान का पंजीकरण/पंजीकरण का नवीकरण हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक का पूरा पता :
3. आवेदक के निदेशकों, स्वत्वधारियों, भागीदारों, स्वामियों आदि के नाम :
4. आवेदक द्वारा प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों की सूची (विहित प्रतिवेदन) :
5. कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान की पंजीकरण संख्या, नवीकरण की स्थिति में पंजीकरण की प्रति सहित
6. पंजीकरण/ नवीकरण शुल्क विवरण राशि:

विशिष्ट	नगद की स्थिति में	यदि डी0 डी0 (डिमांड ड्राफ्ट)
	राशि प्राप्त रसिद संख्या	डी0 डी0 संख्या :
		दिनांक :
		बैंक :
		शाखा का नाम :

एतद् द्वारा मैं/हम बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के सभी प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

पदनाम :

स्थान :

दिनांक :

(हस्ताक्षर)

प्रपत्र- 'ज'

बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के अधीन कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन प्रशिक्षण संस्थान के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

यह पंजीकरण व्यावसायिक परिसर के प्रमुख और विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा	
नाम:	पंजीकरण संख्या :
पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का पता	 से (तीन वर्षों तक पंजीकरण वैध)
बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण प्रदान किया जाता है। पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक समय-समय पर राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत विनिर्देशों के अनुरूप और सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा।	

स्थान :

(पंजीकरण प्राधिकार)

दिनांक :

प्रपत्र- 'झ'

सीमेन स्टेशन के लिए अर्द्धवार्षिक विवरणी

1. पंजीकरण संख्या : निर्गत तिथि :
2. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का नाम :
3. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का पता :
4. सीमेन स्टेशन का नाम :
5. सीमेन स्टेशन का पता :
6. प्रतिवेदन की अवधि :
7. माह (अप्रैल-सितंबर) / (अक्टूबर-मार्च) :
8. सीमेन उत्पादन की वर्तमान क्षमता (लाख सीमेन खुराक) :
9. सीमेन संग्रह के तहत साँदों की संख्या : सीमेन संग्रह के अंतर्गत साँदों का विवरण :

क. सीमेन संग्रह के तहत प्रमाणित साँद

साँद की पहचान संख्या	नस्ल	उत्पादित खुराक

ख. प्रमाणन हेतु प्रस्तावित साँद

साँद की पहचान संख्या	नस्ल

ग. पशु झुंड क्षमता

	प्रारंभिक	अंतिम
नर		
संगरोध		
पालन-पोषण		
प्रशिक्षण		
संग्रह		
पृथक्करण		
मादा		

घ. पूरे पशु झुंड के लिए संचालित नैदानिक परीक्षणों के विवरण

बीमारी	परीक्षण किए गए जानवरों की संख्या	पॉजिटिव पाये गये पशुओं की संख्या	निपटान का विवरण
टी0बी0			
जे0डी0			
ब्रूसेल्लोसिस			
आई0बी0आर0			
कंपीलोबैक्टेरियोसिस			
ट्राइकोमोनिएसिस			

1. संगरोध सुविधा :-

क्या सीमेन स्टेशन के पास एक संगरोध स्टेशन है? हाँ/नहीं

संगरोध स्टेशन की क्षमता (साँढ़ों की संख्या) :

2. पालन-पोषण की सुविधा :-

क्या सीमेन स्टेशन के पास पशुपालन स्टेशन है? हाँ/नहीं

पालन-पोषण स्टेशन की क्षमता (साँढ़ों की संख्या) :

प्रश्न- 'अ'

(विभाजन हेतु प्रस्तावित वधे सौदों का विवरण)

1. लोभक रोजगार की प्रतीकृतता संख्या : विधित तिथि :
2. प्रतीकृतता प्रमाण-द्वय प्रारंभ का वर्ष :
3. प्रमाण-द्वय प्रारंभ का वर्ष :
4. लोभक रोजगार का वर्ष :
5. लोभक रोजगार का वर्ष :
6. प्रमाण-द्वय प्रस्तावित वधे सौदों का विवरण :

क्रम संख्या	सौदों की प्रतीकृतता संख्या	आयु	वर्ग	अनुसूची II-ख(1) के अनुसार नाकारात्मक (हाँ/नहीं)	भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार न्यूनतम उत्पादन मानकों को पूरा करना (हाँ/नहीं)

म प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी सत्य और सही है।

प्रति :

संकेत :

वेकृत व्यक्ति का नाम :

तारिख :

प्रपत्र - 'ट'

कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता हेतु मासिक प्रतिवेदन

1. पंजीकरण संख्या : निर्गत तिथि :
2. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का नाम :
3. पंजी प्रमाण-पत्र धारक का पता :
4. कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का नाम :
5. प्रतिवेदन का माह :
6. सीमेन खुराक के स्रोत, उपयोग एवं भंडार :

सीमेन स्टेशन का नाम	नस्ल	खरीदी गयी खुराक की संख्या	निर्गत खुराक की संख्या	उपयोग किए गए खुराक की संख्या	मण्डारित खुराक की संख्या

7. कार्य क्षेत्र :- राज्य : जिला :
राज्य : जिला :
8. कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों की संख्या :
9. कार्य प्रदर्शन:

नया कृत्रिम गर्भाधान (प्रथम कृत्रिम गर्भाधान/भ्रूण प्रत्यारोपण)				कृत्रिम गर्भाधान/भ्रूण प्रत्यारोपण की कुल संख्या (प्रथम और दुबारा)				गर्भाधान प्रति
देशी गाय	संकर नस्ल	भैंस	कुल	देशी गाय	संकर नस्ल	भैंस	कुल	नया कृत्रिम गर्भाधान/भ्रूण प्रत्यारोपण

10. रखे गए पशु चिकित्सकों की संख्या :

हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे द्वारा रखे गए सभी कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन गोजातीयों में कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अर्हता और अनुभव के मापदंड को पूरा करते हैं। हम यह भी प्रमाणित कि ऊपर दी गयी सभी जानकारी सत्य है।

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

प्रपत्र- 'ठ'

कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान हेतु अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन

1. पंजीकरण संख्या : निर्गत तिथि :
2. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का नाम :
3. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का पता :
4. कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान का नाम :
5. निबंधित पशु चिकित्सक का नाम जो प्रशिक्षण हेतु उत्तरदायी हैं :
6. संकाय के अन्य सदस्यों के नाम और योग्यता :
7. प्रतिवेदन की अवधि :
8. माह (अप्रैल-सितंबर/अक्टूबर-मार्च) महीना :
9. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों की संख्या :
10. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों की सूची :

क्रम0 संख्या	कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का नाम, जिन्हे प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।	स्थायी पता	पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का नाम जिसके साथ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन पंजीकृत है

हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे द्वारा प्रशिक्षित सभी कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तथा बोवाइन/कैप्रिन प्रजाति/स्वाइन/ अन्य में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करने के लिए प्राधिकारी द्वारा यथाविहित व्यावहारिक प्रशिक्षण ले चुके हैं। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य हैं।

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

हस्ताक्षर :

कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता से स्थानांतरण

1. पंजीकरण संख्या : निर्गत तिथि :
2. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का नाम :
3. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का पता :
4. वर्तमान में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का नाम :
5. कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता का नाम जिसके अंतर्गत तकनीशियन स्थानांतरित होना चाहता है:.....
6. वर्तमान में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के अंतर्गत कार्य किए गए वर्षों की संख्या:.....
7. स्थानांतरित शुल्क विवरण: राशि:

विशिष्ट	नगद की स्थिति में	यदि डी0 डी0 (डिमांड ड्राफ्ट)
	राशि प्राप्ति रसिद संख्या	डी0 डी0 संख्या :
		दिनांक :
		बैंक :
		शाखा का नाम :

8. अन्य कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता के पास जाने का कारण:.....
9. क्या उल्लेखित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित है:.....

हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य हैं।

स्थान :
 दिनांक :
 प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :
 हस्ताक्षर :
 (कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता से,
 गर्भाधान तकनीशियन वर्तमान
 अपनी मे काम कर रहा है।)

स्थान :
 दिनांक :
 प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :
 हस्ताक्षर :
 (कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाता से, कृत्रिम
 जिसमे कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन
 सेवा स्थानांतरित करेगा)

अंजनी कुमार सिंह,
 सरकार के सचिव।

13 अगस्त 2025

सं० एल०जी०-01-10/2025-5144/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्व
 दिनांक 9 अगस्त, 2025 को अनुमत बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम 13, 2025)
 निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-
 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 अंजनी कुमार सिंह,
 सरकार के सचिव।

[BIHAR ACT NO. 13, 2025]
BIHAR ANIMAL BREEDING REGULATION ACT, 2025
 AN
 ACT

to regulate breeding related activities in animals including the use of breeding in animal for production of semen & embryos, storage, sale and distribution of semen & embryos and Artificial Insemination Services in animals as per the Breeding Policy of Bihar for improving the productivity and any other feature or trait in animals in the state and for matters connected therewith.

WHEREAS it is expedient to make provision for the regulation of breeding in animals in the State and for matters connected therewith or ancillary thereto;

Now, therefore, be it enacted by State Legislature of Bihar in the 76th of Republic of India as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT

- (1) This Act may be called as **Bihar Animal Breeding Regulation Act, 2025**.
- (2) It extends, to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from such date as notified by the State Government in the Official Gazette.

2. DEFINITIONS.- In this Act, unless the context otherwise requires, -

- (a) "**Advisory Committee**" means the committee formed by the State Government, under section 4 of this Act;
- (b) "**AFRD**" means Animal & Fisheries Resources Department, Bihar, Patna.
- (c) "**Animals**" means those Animals and Birds which are included in the "Bihar Animal Breeding Policy".
- (d) "**Appellate Authority**" shall be ex-officio Secretary or Principal Secretary or Additional Chief Secretary, Animal & Fisheries Resources Department, Bihar.
- (e) "**Artificial Insemination**" or "**AI**" means the process of depositing semen in the body of the uterus of a mature female animal with the intention of making it pregnant;
- (f) "**Artificial Insemination Service Provider**" means a Firm, Limited Liability Partnership (LLP), Joint Venture, Company, Producer Company, Institution, NGOs, Breeders' Associations, Trusts, Department of State Government or Co-operative Society, Livestock Development Board or Agency who undertakes artificial insemination services in Animals;
- (g) "**Artificial Insemination Technician (AIT)**" means a person who possesses requisite qualifications, as prescribed by the competent Authority.
- (h) "**Breeding**" means breeding activities in animals that include the use of any animal for production, processing, storage and distribution of semen & embryo, and providing Artificial Insemination services or ET services to Animals.
- (i) "**Breeding Policy**" means a state policy, duly notified by the respective state government, for maintaining and developing different breeds of cattle, buffalo, sheep, goat, pig and poultry or any other animal in different agro-climatic zones of the state.
- (j) "**Certified animal**" means any animal meeting the prescribed standard specifications for semen & embryo production and is included in the Certificate of Registration of Semen Station or Embryo Production Centre (IVF-ET Labs) as prescribed standard for semen & embryo production by the Central or Competent Authority, from time to time;

- (k) "**Central Authority**" means the authority appointed by the Central Government to regulate or check or monitor and advice the breeding activities mentioned in this Act;
- (l) "**Embryo**" means a structure developed as a result of fusion of male and female gametes of animals;
- (m) "**Expert**" means an expert who fulfils the requirements, as may be specified by the Authority;
- (n) "**Genetic Improvement Programme**" means a programme for improving genetic potential for milk or meat production or any other desired feature or trait in future generation of animals by using animals with high genetic merit as parents;
- (o) "**IVF-ET Laboratories**" means a premises where a facility is setup for collection of ova and embryos, processing, embryo production, storage and transfer of bovine embryos or embryo of any other animal;
- (p) "**Premises**" means any land, premises, yard, building, or vessel or vehicle or any other location that is used for semen & embryo production, storage and or for providing Artificial Insemination & Embryo Transfer services in animals;
- (q) "**Prescribed Standards**" for bovines and other animals means the **Minimum Standard Protocol** prescribed by the Central or State or Competent Authority, from time to time and to be adhered to by those seeking a certification of registration;
- (r) "**Registration Authority**" shall be ex-officio Project Director, Bihar livestock development agency, Patna, Bihar under section 3 of this Act to grant a certificate of registration to Semen Stations, IVF-ET Lab, Artificial Insemination Service Providers, Artificial Insemination Technicians, Artificial Insemination Training Institutes;
- (s) "**Registered Veterinary Practitioner**" means a graduate in veterinary science registered under the Veterinary Council Act, 1984.
- (t) "**Semen**" means the semen or sexed semen of cattle bulls or buffalo bulls or ram or buck or boar or poultry or any other animal or animals included in Bihar Animal Breeding Policy in any form;
- (u) "**Semen Bank**" means a premise, where a facility is set up for storage and distribution of bovine semen or semen of any other animal or birds;
- (v) "**State Authority**" means an authority appointed or designated, by the state government, for the purpose of this Act;
- (w) "**Semen Station**" means a premise where a facility is setup for production, processing and storage of bovine semen or semen of any other animal.

CHAPTER II ADMINISTRATION & ENFORCEMENT

3. **Registration Authority and registration process:-**

- (i) Project Director, Bihar livestock development agency, Patna, Bihar shall be ex-officio Registration Authority for semen station, IVF-ET Lab, Artificial Service Providers, Artificial Insemination Training centres, Artificial Insemination Technicians under this Act. The Registration Authority shall report to the Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, AFRD, government of Bihar;
- (ii) Registration Authority shall receive applications for registration and shall constitute teams of experts having relevant professional experience of at least five years in the field of animal breeding, artificial insemination services, semen station, IVF-ET activities, animal husbandry, animal health, employed in institutions of repute in these fields, for the purpose of enquiry or inspection of premises belongs to Semen Stations or IVF-ET Laboratory and Artificial Insemination Service Providers and Artificial Inseminations Training Centre under Section 3 and 4 of the Act;
- (iii) After inspection of Semen Stations or IVF-ET Laboratory, Artificial Insemination Training Centres and Artificial Insemination Service Providers the team of experts shall submit a report to the Registration Authority for issuing "Certificates of

Registration" to semen stations or or IVF-ET Laboratory and artificial insemination service providers, within their jurisdiction;

- (iv) In case, the report of the team of experts does not find the organisation eligible for registration, the comments thereof, shall be examined by the Registration Authority for acceptance or rejection of registration. The grounds of rejection shall be communicated to the applicant or organisation;
- (v) The registration process shall be completed preferably within ninety (90) days of duration or at best 120 days otherwise new process shall have to begin;
- (vi) The Registration Authority shall be responsible to monitor and implement the Bihar Animal Breeding Regulation Act, 2025 and shall submit a report to the Advisory Committee;

4. **Bihar Animal Breeding Regulation Advisory Committee.-**

- (i) The State Government shall by notification in the Official Gazette, constitute an Advisory Committee under the Chairmanship of Secretary or Principal Secretary or Additional Chief Secretary, Animal and Fisheries Resources Department, Bihar to be called the Bihar Animal Breeding Regulation Advisory Committee, which shall consist of the following members:-

- (a) Director Animal Husbandry, Bihar
- (b) Managing Director, COMFED, Patna,
- (c) Director Dairy, Bihar,
- (d) Head Of Department, Veterinary Gynaecology & Obstetrics (VGO), Bihar Veterinary College, Patna,
- (e) Head Of Department, Animal Genetics & Breeding, Bihar Veterinary College, Patna,
- (f) General Manager, Purnia Semen Station, Maranga Purnia,
- (g) Special Deputy Director, Frozen Semen Bank-cum-Bull Station, Patna as Member Secretary

"Members of the Advisory Committee may adopt a subject expert as a member who shall have experience in different facets of animal breeding, semen or embryo production and distribution".

- (ii) The terms of reference for appointing the Advisory Committee shall be such as the state government may determine from time to time;
- (iii) The Advisory Committee shall advise the Registration Authority or state government and shall meet periodically to dispose of the matters submitted by the Registration Authority. The Advisory Committee shall ensure that the guidelines issued by Department of Animal Husbandry & Dairying (DAHD) or National Dairy Development Board (NDDB) are followed as per prescribed standards and evaluation procedures for breeding bulls & other animals, semen stations & IVF-ET lab, storage and distribution of semen & embryos and artificial insemination services and prescribing training curriculum, qualification and experience of Artificial Insemination Technicians and recognition of the training institutes;

5. **Power to modify Schedules/Annexures and Registration Fee.**—Notwithstanding anything contained in this Act, the Secretary or Principal Secretary or Additional Chief Secretary, AFRD shall have the power to modify schedules and annexures to this Act and revise registration fee from time to time by notification in the Gazette of Bihar. The provision for the same is to on the basis of rules so be framed.

6. **Power to inspect, search and seizure.-**

- (a) The Registration Authority or any officer or team of experts authorised by the Registration Authority on his behalf, with a view to securing compliance with the terms and conditions of the registration and any provisions of this Act, may:-
 - (i) enter, inspect and cause or conduct a search of any place of business or premises of the semen station or IVF-ET lab or semen bank or artificial insemination service provider or AITs in which it has reason to believe that any contravention of the provisions of this act or of the conditions of

registration issued there under has been, is being, or is about to be committed;

- (ii) collect samples of semen & embryo or any other material used in semen & embryo production or storage or artificial insemination services from the premises of any semen station or semen bank or artificial insemination service provider or AIT's and have such samples analysed by a laboratory authorised on that behalf by the Registration Authority and shall also seize bovine bulls or bucks or ram or boar or poultry or any other animal there from which are not duly certified for semen & embryo production; or make such other inquiry as may be required, take statements of the holder of the certificate of registration and other persons working there at such premises and to check the records thereof;
- (b). The provisions of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under para 6(a) (i) and (ii);
- (c) Every holder of a registration certificate, including the AIT's engaged by the certified AI Service Provider shall be bound by any direction or order issued by the Registration Authority in pursuance of any of the provisions of this Act and shall comply with such direction or order and any failure on his part to comply with such direction or order shall be deemed to be a contravention of this Act;
- (d) Any document purporting to be a report signed and issued by a recognized laboratory may be used as evidence of the facts stated therein any proceedings under this Act;
- (e) All local authorities shall render such help and assistance and furnish such information to the Authority as it may require for the discharge of its functions and shall make available for inspection and examination, such records or documents as may be necessary;
- (f) The Authority shall furnish reports, returns, statistics, and other information with respect to its funds or activities as the Government may, from time to time, require;
- (g) No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter in which an Appellate Authority constituted under this Act is empowered;
- (h) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Authority, any officer or employee of the Authority in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made there under;
- (i) The Government may, by notification, direct that all or any of the powers exercisable by them under this Act, other than the powers conferred by section 3 and 6, may also be exercised by such person or persons as may be specified in the notification;
- (j) Whenever any delegation of power is made by the Competent Authority, the person to whom such power has been delegated shall act under the direction, control and supervision of the Government;
- (k) Any member or officer of the authority empowered by the Government, while exercising any power or performing any duty under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023;
- (l) If any difficulty arises in giving effect to any provisions of this Act, the Government may, by a general or a special order published in the Bihar Government Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficulty;

- (m) The Government may, by notification, make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act;
- i. (i) All rules made under this Act shall be published in the Bihar Government Gazette, and unless they are expressed to come into force on a particular day, shall come into force on the day on which they are so published;
 - ii. (ii) All notifications issued under this Act shall, unless they are expressed to come into force on a particular day, come into force on the day on which they are so published;
- (n) For addition of new rule or amendment or deletion of existing rule, to or under this Act, as soon as possible, after it is drafted, be placed on the table of the State Legislature, and if, the State Legislature makes any modification in any such rule or the State Legislature decides that the rule, should not be made or issued, the rule, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

7. **Maintenance of records & submission of returns.-**

- (i) The holder of a registration certificate shall maintain such books, accounts and records relating to his business in such form as may be specified by the Registration Authority;
- (ii) Every holder of a registration certificate for a semen station or IVF-ET lab shall submit **half yearly report** or return in duplicate in respect of animals used and semen & embryos doses produced, every holder of a registration certificate as an AI service provider shall submit **monthly report or return** in duplicate in respect of the number of AI technicians engaged and number of inseminations or number of embryo transfer carried out and every holder of a registration certificate as an AI Training Institutes shall submit **half yearly report or return** in duplicate giving a list of AI Technicians trained and name of the registered veterinary practitioner under whose supervision the training was imparted. Forms shall be available with the Registration Authority.

8. **Penalties.-**

(I) **Functioning without Registration-**

- (a) For Semen Station or IVF-ET lab, Artificial Insemination Service Provider or Artificial Insemination Training Institute:- If any of Semen Station or IVF-ET Lab, Artificial Insemination Service Provider or Artificial Insemination Training Institute do not get registered through registration authority or is or are working without registration shall be punishable with fine as below:-

- (i) Semen Station- Rs. 15,00,000/- (Fifteen Lakh) Only
- (ii) Commercially Functional I.V.F.-ET Lab- Rs. 5,00,000/- (Five Lakh) Only
- (iii) Artificial Insemination Service Provider- Rs. 10,00,000/- (Ten Lakh) Only
- (iv) Artificial Insemination Training Institute-Rs. 5,00,000/- (Five Lakh) Only

- (b) For AI Technician (AIT) Working Without Registration: If any AIT performs artificial insemination without getting themselves registered to any of the AI Service Provider then under this Act he or she shall be punishable with fine which may extend Rs. 15,000/- (Fifteen thousand only);

(II) **Expiry of Registration Certificate – Registered Semen Station or IVF-ET lab or AI Service Provider or Artificial Insemination Training Institute or AI Technician mentioned in above section 8 shall be given grace period of three (3) months for renewal of their registration certificate. The mentioned entities if not renewed their registration within grace period, may renew their registration only after payment of a late fine as given below within 3 months up to period of six months after expiry of their registration certificate:-**

- (i) Semen Station- Rs. 5,000/- (Five Thousand) Only
- (ii) Commercially Functional I.V.F.-ET Lab- Rs. 5,000/- (Five Thousand) Only
- (iii) Artificial Insemination Service Provider- Rs. 4,000/- (Four Thousand) Only

- (iv) Artificial Insemination Training Institute-Rs. 4,000/- (Four Thousand) Only
 - (v) Artificial Insemination Technicians- Rs. 500/- (Five Hundred) Only
- After six months of expiry of certificate they will be deemed to working without registration and penalty will be levied accordingly;
- (III) Breaching of Rules – Any entities who has been granted a certificate of registration under Chapter III of this Act and has contravened any of the provisions of this Act or any standards laid down in prescribed standard, shall be punishable with fine which are as below:-
- (i) Semen Station- Rs. 5,00,000/- (Five Lakh) Only
 - (ii) Commercially Functional I.V.F.-ET Lab- Rs. 2,00,000/- (Two Lakh) Only
 - (iii) Artificial Insemination Service Provider- Rs. 4,00,000/- (Four Lakh) Only
 - (iv) Artificial Insemination Training Institute-Rs 2,00,000/- (Two Lakh) Only
 - (v) Artificial Insemination Technicians- Rs. 5,000/- (Five Thousand) Only.

CHAPTER III REGISTRATION OF SEMEN STATIONS, IVF-ET LAB & ARTIFICIAL INSEMINATION SERVICE PROVIDERS

9. *Registration of Semen Stations or IVF-ET Laboratories.-*

- (i) On and from the date of commencement of this Act, no person, firm, Limited Liability Partnership (LLP), company, institution, co-operative society, Livestock Development Boards or Agencies or Department of State, shall establish and operate a semen station or IVF-ET lab for production of semen doses or embryos for artificial insemination without obtaining a certificate of registration from the Registration Authority;
- (ii) Every application for registration or renewal shall be made to the Registration Authority in Form "A" along with the prescribed fees @ Rs. 25,000/- (Twenty five thousand only) for registration valid for Two (2) years and @ Rs. 10,000/- (Ten thousand only) for renewal, valid for another Two (2) years only in condition that grading of Semen Station or IVF-ET Lab should not be less than Grade 'A' or Grade 'B'. The State Government (or Government funded under scheme) Semen Station or IVF-ET Lab will be exempted from paying the registration fee;
- (iii) Existing semen stations or IVF-ET Laboratory shall apply to the Registration Authority for grant of registration for semen production within three months from the effective date of commencement of this Act;
- (iv) On and from the date of commencement of this Act, no semen station or IVF-ET Lab shall carry out semen or embryo production from any bull or buck or ram or boar or poultry or any animal other than those who are according to prescribed standard issued by Government of India and or as per standard decided by the Registration Authority from time to time;
- (v) Every application for registration or renewal shall be made to the Registration Authority in Form "A" along with the prescribed fees (as per section 9(ii));
- (vi) When an application for obtaining registration for a new semen station or IVF-ET Laboratory has been made to the Registration Authority, the Registration Authority may provisionally permit, in writing, to set up the new semen station or IVF-ET Lab pending an issuance of a final registration certificate. Such provisional permission shall be valid for a period not exceeding 24 months from the date of its issue within which the applicant shall arrange for inspection by the Registration Authority to demonstrate the compliance to the requirements as well as accreditation certificate issued by GoI. The applicant may apply for an extension of the duration of provisional permission due to reasons beyond his control. The Registration Authority may grant an extension (subject to verifying the reasons for delay) of a period not exceeding six months. The semen station or IVF-ET Lab shall not operate commercially without obtaining the final registration certificate and unless an inspection has been carried out to ascertain the requirements as Specified in

- prescribed standard (may be obtained or released from the Registration Authority from time to time) and as per the instructions issued by the Competent Authority from time to time;
- (vii) When an application for obtaining registration for an existing semen station or IVF-ET Lab has been made to the Registration Authority, the Registration Authority may provisionally permit, in writing, to the semen station or IVF-ET Lab to operate in lieu of pending of a final registration certificate provided the tests referred to in prescribed standard have been conducted with negative results. Such provisional permission shall be valid for a period not exceeding twelve months (12 months) from the date of its issuance within which the applicant shall arrange for inspection to demonstrate the compliance to the requirements as specified in prescribed standard and as per the instructions issued by the Competent Authority from time to time;
- (viii) On receipt of request for inspection for grant of registration for a new semen station or IVF-ET Lab or existing semen station or IVF-ET Lab, the Registration Authority shall send a team of experts for such enquiry or inspection and after satisfactory inspection report, may release the same after satisfying all criterias as per prescribed standard,
Registration Authority shall grant a certificate of registration to a new Semen Station or IVF-ET Lab or existing semen station or IVF-ET Lab clearly specifying the name and address of the Station,
Registration number of the Semen Station or IVF-ET Lab, individual identification number of animals used for semen production or IVF-ET Lab, name of the responsible officer for the Semen Station or IVF-ET Lab and any such other terms and conditions as it may deem appropriate as in Form B. The certificate of registration granted to any animal shall be cancelled any time in its life, if it does not meet the conditions specified under in prescribed standard;
- (ix) The Certificate of Registration granted to any Semen Station or IVF-ET Laboratory shall be for a period of two (2) years or as per order issued or decision taken by Competent Authority from time to time. The Semen Station or IVF-ET Laboratory shall apply for renewal of the registration to the Authority at least 3 (three) months before the expiry of the period specified in the Certificate of Registration. The Registration Authority after satisfying itself that the conditions of registration as per prescribed standard, have been adhered to, shall renew the registration for a further period of two years within three months of the date of application by the applicant. Before inducting new bovine bulls or other animal in the Semen Station or IVF-ET Laboratory, that meet the standards for semen production, the details of such bovine bulls or other animal shall be communicated to the Registration Authority one month prior to their induction in Form-J for approval by the Registration Authority. If the approval is not received within one month, it may be regarded as approval till communicated otherwise;
- (x) The Registration Authority may, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew the registration;
- (xi) The Registration Authority shall send a team of experts to inspect a semen station or IVF-ET Lab as and when desired, but at least once a year, to ensure compliance of the conditions of certification of registration granted as per prescribed standard;
- (xii) Any semen or embryo production facility or IVF-ET Laboratory set up by research institutes or universities for the purpose of research and training shall be exempted from the obligation of holding a registration certificate for Semen Station or IVF-ET Lab. Such semen stations or IVF-ET Labs shall not trade semen doses, embryos or carry out commercial AI delivery services until permission taken from the registering authority declared under this Act.

10. *Registration of Artificial Insemination Service Provider.-*

- (i) On and from the date of commencement of this Act, no person, firm, Limited Liability Partnership (LLP), company, institution, NGOs, Breeders' Associations, Trusts, Co-operative society whereas Livestock Development Boards or Agencies & AH Department of State shall provide Artificial Insemination Services without obtaining a registration certificate from the Registration Authority;
 - (ii) AI Technicians shall be allowed to provide AI Services only if he or she is working under an AI Service Provider holding a Certificate of Registration from the Registration Authority. No individual or Private AI Technician shall be allowed to provide AI services;
 - (iii) Existing Artificial Insemination Service Providers shall apply to the Registration Authority for granting registration for providing AI Services within three months from the effective date of this Act;
 - (iv) Application for registration or renewal of Artificial Insemination Service Provider shall be made to the Registration Authority with prescribed fees @ **Rs. 20,000/-** (Twenty thousand) only for Registration valid for five (5) years and renewal for another five (5) years against payment of **Rs. 10,000/-** (Ten Thousand) only;
 - (v) Every application for registration or renewal under sub-section 10(iii) and 10(iv) shall be made to the Registration Authority in Form "C" with prescribed fees;
 - (vi) On receipt of any such application for grant of registration or renewal, the Registration Authority shall send a team of experts constituted by the Registration Authority for such enquiry or inspection, and after satisfying itself that the Artificial Insemination Service Provider:-
 - (a) has arrangements for receiving, storing and distributing semen or embryos as laid down in prescribed standard;
 - (b) obtains semen or embryos only from the certified animals of semen stations accredited with Grade "A" or "B" by the CMU or IVF-ET Lab registered under the Act and is following Bihar Animal Breeding Policy;
 - (c) does not bring semen produced outside the State distributed or gifted for Artificial Insemination or transfer, except if the doses is produced at a semen station which is graded "A" or "B" as per the latest rating of the Department of Animal Husbandry & Dairying (DAHD), Govt. of India with the prior approval of the Registration Authority to be granted in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed;
 - (d) imports semen or embryos for Artificial Insemination or transfer into the state of Bihar from other states or country, except with the prior approval of the Registration Authority to be granted in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed;
 - (e) engages AI technicians, who hold such qualifications and experience as prescribed by the Registration Authority from time to time for providing the artificial insemination services and for the one who provide AI services on behalf of it, and maintains records as prescribed by the Registration Authority;
 - (f) provides AI services as per the approved Breeding Policy of the State government;
 - (g) does not supply semen or embryos to any AI Technician other than those engaged by it or to other AI Service provider not holding a Certificate of Registration from the Registration Authority, and;
 - (h) conforms to the guidelines as laid down in prescribed standard available with the Registration Authority;
- Registration Authority shall grant a certificate of registration to the Artificial Insemination Service Provider clearly specifying the name and address of the Service provider, Registration number of the Service provider, name of a responsible officer employed by the Service provider and any such other terms and conditions as may deem appropriate as in Form D.

- (vii) Every application for renewal of registration shall be made three months before expiry of the period specified in the registration certificate. The Registration Authority, after satisfying itself that the conditions of registration as per prescribed standard have been adhered to, shall renew the registration for a further period of five years within three months of the date of application by the applicant;
- (viii) The Registration Authority may after giving the applicant an opportunity of being heard and for the reasons to be recorded in writing refuse to grant or renew the registration;
- (ix) The Registration Authority may send a team of experts to inspect facilities or arrangements of receiving, storage and distribution of semen, records of semen procurement and usage, working of AI technicians employed by the Artificial Insemination Service Provider as and when desired, but at least once a year, to ensure compliance to the conditions of registration issued under prescribed standard;
- (x) The Registration Authority may ask for an undertaking or affidavit from the AI Service Provider stating that it shall follow the guidelines in letter and spirit and shall be bound to provide information regarding the source of purchasing semen and the number of inseminations carried out by the AI Technicians receiving semen (monthly report).

11. **Registration of AI Technicians.**—On and from the date of commencement of this Act, no person shall act as AI technician and provide his services for any AI service provider unless he or she:—

- (i) has undergone the prescribed training from any recognized AI Training Institutes;
- (ii) Within one year from the date of commencement of this act, Artificial Insemination Technician shall apply to the Registration Authority through Artificial Insemination Training Institute or AI Service Provider or Semen Station in **Form E** along with the supporting documents of qualification & experience (if any) and registration fees of **Rs. 1000/-** (One thousand) only valid for five (5) years which shall be renewed every five (5) years against payment of **Rs. 500/-** (Five hundred) only;
- (iii) AI service provider shall get provisional registration of all untrained AIT working under them through Registration Authority by submitting an undertaking-cum-affidavit to ensure their required training from recognized institute within one year of commencement of this act. In case AI service provider fails to get the mentioned training of all untrained AITs working under them within the given time span then the AI service provider will not provide any support (semen or liquid nitrogen etc.) to such untrained AITs;
- (iv) Under this act AITs shall be eligible to change Artificial Insemination Service Provider through which they are registered to any other registered Artificial Insemination Service Provider in the state by the payment of **Rs. 500/-** (Five hundred) only to the Registration Authority (**Form M**);
- (v) Registered veterinary practitioners and Artificial Insemination Technicians (AIT's) working under government shall be exempted from the obligations of holding a certificate of registration under this Act for performing Artificial Insemination;

The AI technicians shall perform Artificial Insemination as per the procedure & guidelines issued by Department of Animal Husbandry and Dairying (Government of India), Registration Authority and also as per the provisions of the Bihar Animal Breeding Policy and shall provide necessary information in the prescribed format to the AI service provider or semen station where he is working, failing which their registration shall be suspended till the necessary rectifications are carried out.

12. *Registration of Artificial Insemination Training Institute.-*

- (i) On and from the date of commencement of this Act, no person, firm, Limited Liability Partnership (LLP), company, institution, NGOs, Breeders' Associations, Trusts, co-operative society, Livestock Development Boards or Agencies or Department of State or Central Government, shall provide training in Artificial Insemination Services without obtaining a registration certificate from the Registration Authority;
- (ii) Existing or New Artificial Insemination Training Institutions shall apply to the Registration Authority for grant of registration for providing AI training within three months from the effective date of this Act. The Training Institutions shall be allowed to impart training for maximum six months with restriction that certificates can be issued only after Registration of the Training Institutions;
- (iii) Every application for registration or renewal under sub-section (i) and (ii) shall be made to the Registration Authority in **Form "G"** with prescribed fees. Every application for registration or renewal shall be made to the Registration Authority with prescribed fees of Rs. 20,000/- (Twenty thousand) only for registration valid for three years (3 years) and renewable for another three years (3 years) against payment of Rs. 10,000/- (Ten thousand) only. Livestock Development Boards or Agencies or Department of state or central government shall be exempted from paying registration fee;
- (iv) On receipt of any such application for grant of registration or renewal, the Registration Authority shall send a team of experts constituted by the Registration Authority for such enquiry or inspection, and after satisfying itself that the Artificial Insemination Training Institution:-
 - (a) follows the standard curriculum and duration for class room and practical training as approved and modified by the Registration Authority from time to time as per prescribed standard;
 - (b) has arrangements for class rooms with teaching aids and hands on training in palpating reproductive organs outside and in live animals (one animal for every 5 trainees) and carrying out artificial insemination as laid down in as per prescribed standard;
 - (c) has arrangements with AI Service providing organisations to have practical training to its trainees for the duration approved by the Registration Authority and shall obtain certificate from the concerned Veterinarian for having ability to pass AI Gun properly;
 - (d) has registered veterinary practitioner under whose supervision the institute imparts training;
 - (e) training centre will only admit trainees passed class XII with Science; However, organisations implementing MAITRI shall endeavour selecting XII pass candidates and may be given relaxation for recruiting X pass candidates as per Government of India guidelines;
 - (f) shall grant a certificate of registration to the Artificial Insemination Training Institute clearly specifying the name and address of the Training Institute, Registration number, name of a responsible officer employed by the Training Institute and any such other terms and conditions as may deem appropriate as in **Form H**.
- (v) Every application for renewal of registration shall be made 3 (three) months before expiry of the period specified in the registration certificate. The Registration Authority after satisfying itself that the conditions of registration issued under prescribed standard have been adhered to, shall renew the registration for a further period of three years within three months of the date of application by the applicant;
- (vi) Registered Artificial Insemination Training Institute, could evaluate the practices of the existing practitioners who do not have the qualifications prescribed for

- performing artificial inseminations and if found to be sound, may award them certificate permitting them to continue offering AI services in the state;
- (vii) The Registration Authority may after giving the applicant an opportunity of being heard and for the reasons to be recorded in writing refuse to grant or renew the registration;
- (viii) The Registration Authority may send a team of experts to inspect class room and hands-on training facilities deployed by the Training institute as and when desired, but at least once a year, to ensure compliance to the conditions of registration issued under prescribed standard.

13. **Duplicate registration certificate.**—If a registration certificate issued under this Act is defaced, lost or destroyed, the Registration Authority may, if satisfied, grant a duplicate registration certificate to the applicant on payment of a prescribed fee of **Rupees one thousand**.

14. **Revocation of certificate of registration.**—If the Registration Authority is satisfied, either on a reference made to it in this behalf or otherwise that:-

- the certificate of registration granted by it under this chapter has been obtained by misrepresentation; or
- the holder of the certificate of registration has, without reasonable cause, failed to comply with the conditions subject to which the certificate has been granted or has contravened any of the provisions of this Act or Rules or has not complied with the conditions as laid down in prescribed standard;
- without prejudice to any other penalty to which the holder of the certificate may be liable under this Act, the Registration Authority may, after giving the holder of the certificate of registration an opportunity to explain, revoke the certificate.

15. **Appeal.**-

- Any person aggrieved by an order of the Registration Authority refusing to grant or renew a certificate of registration or revoking the registration under the provisions of this Act, may appeal to the Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, AFRD within (30) thirty days from the date of receipt of such order by him;
- No order shall be made under this clause unless an aggrieved person has been given a reasonable opportunity of being heard;
- Pending disposal of an appeal, the Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, AFRD may direct that the order refusing to grant or renew a Certificate or the order of cancelling or suspending certificate of registration shall not take effect until the appeal is disposed of.

PS. All schedules, formats and details about the management of diseases are to be obtained from the Registration Authority.

CHAPTER IV MISCELLANEOUS

16. **Power to remove difficulties.**-

- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty;
- Any Amendment made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is being made, before the State Legislature;

17. **Fund.**—The amount collected through registration, renewal or any other fee for mentioned purposes shall be kept as Revolving Fund & will be utilised for various activities related to breed improvement of Animal as decided by Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary of AFRD, Patna.

19.

Forms and Annexures for amendment of schedules, Forms and Annexures for amendment of schedules, Forms and Annexures for amendment of schedules, or updated by the Government of India in English in the official language as and when required. English version of the Act is given in case of any difference between the English and Hindi version. In case of any difference between the English and Hindi version of the provisions under this Act, the English version shall prevail.

FORM 1A

Application for registration/renewal of registration of Semen Station in Bihar under the Bihar Animal Breeding Regulation Act, 2025.

1. Applicant's Name:
2. Applicant's full address:
3. Names of the Directors, Proprietors, Partners, Officers, etc. of the Station:
4. Location of Semen Station/VFAT Laboratory:
5. Proposed / Installed annual semen / embryo production capacity (State after 1st year for semen and Nos. for embryos):
6. List of breeding bulls proposed for semen collection (State after 1st year in prescribed format):
7. List of persons engaged and their qualifications:
8. Registration number of Semen Station/VFAT Laboratory, in case of renewal with copy of the registration:
9. Registration/ Renewal Fee Details: Amount:

Particulars:	If Cash then,	If DD then,
	Money Receipt No.	DD no.
		Date:
		Bank:
		Branch Name:

I/we hereby undertake to comply with all the provisions of the Bihar-Animal Breeding Regulation Act, 2025.

Name of Authorised Person:

Designation:

Place:

Date:

Signature

FORM "B"

Certificate of Registration of Semen Station or IVF-ET Lab under the Bihar Animal Breeding Regulation Act, 2025.

This registration shall be displayed in a prominent and conspicuous place of business premises	
Name and Address of the holder of Certificate of Registration:	Registration Number:
Location of Semen Station Or IVF-ET Lab	Registration valid from _____ to _____ (Two years or as per decision taken by Competent Authority)
List of "certified bulls"/ Donor attached.	
Registration is granted subject to the provisions of the Bihar Animal Breeding Regulation Act 2025. The holder of registration certificate shall comply with all the directions and conform to the specifications issued by the Registration Authority from time to time.	

Place: _____

Date: _____

(Registration Authority)

FORM "C"

Application for registration/ renewal of Registration of Artificial Insemination Service Provider under the Bihar Animal Breeding Regulation Act, 2025.

1. Applicant's Name:
2. Applicant's full address:
3. Names of the Directors, Proprietors, partners, owners, etc., of Applicant:
4. Proposed / Existing Area of Operation: Name of Districts:-
5. List of Artificial Insemination Technicians engaged by the Applicant (prescribed form P.S. As AI technicians frequently quit AI work, the updated list is to be submitted in his yearly returns.
6. Registration number of Artificial Insemination Service Provider, in case of renewal with copy of the registration
7. Registration/ Renewal Fee Details: Amount:

Particulars:	If Cash then,	If DD then,
	Money Receipt No.	DD no.
		Date:
		Bank:
		Branch Name:

I/we hereby undertake to comply with all the provisions of the Bihar Animal Breeding Regulation Act, 2025.

Name of Authorised Person:

Designation:

Place:

Date:

Signature

FORM -D

Certificate of Registration of Artificial Insemination Service Provider under the Bihar Animal Breeding Regulation Act, 2025.

This registration shall be displayed in a prominent and conspicuous place of business premises

Name

Registration Number:

Address of the holder of registration certificate:

Registration valid from
_____ to _____
(Five years)

Registration is granted subject to the provisions of the Bihar Animal Breeding Regulation Act 2025.

The holder of the registration certificate shall comply with all the directions and conform to the specifications issued by the Registration Authority from time to time.

Place: _____

Date: _____

(Registration Authority)

Application for registration/renewal of Registration of Artificial Insemination Technician
under the Bihar Animal Breeding Regulation Act, 2025.

1. Applicant's Name:
2. Applicant's full address:
3. Applicant's Education:
4. Training undergone- name of institute, duration, certificate awarded:
5. Number of years of experience as AI technician:
6. Proposed / Existing Area of Operation: State:-_____, Name of Districts:-
_____, Name of villages:-_____
7. Registration number of Artificial Insemination Technician, in case of
renewal with copy of the registration:
8. Name of Artificial Insemination Training Institute/Artificial Insemination
Service Provider:
9. Registration/ Renewal Fee Details: Amount:

Particulars:	If Cash then,	If DD then,
	Money Receipt No.	DD no.
		Date:
		Bank:
		Branch Name:

I/we hereby, undertake to comply with all the provisions of the Bihar Animal Breeding
Regulation Act, 2025.

Name of Authorised Person:

Designation:

Place:

Signature

FORM - F

Certificate of Registration of Artificial Insemination Technicians under the Bihar Livestock Breeding Regulation Act, 2025.

AI technician shall carry this Registration Certificate while he provides AI service

Name

Name of registered

AI service provider to whom
registered:

Registration

Number:

Address of the holder of registration certificate:

Registration valid

from

to.....

(Five years)

Registration is granted subject to the provisions of the Bihar Animal Breeding Regulation Act, 2025.

The holder of the registration certificate shall comply with all the directions and conform to the specifications issued by the State Authority from time to time.

Place:

Date:

(AI Service Provider)

Application for registration/renewal of Registration of Artificial Insemination Technician Training Institute under the Bihar Animal Breeding Regulation Act, 2025.

1. Applicant's Name:
2. Applicant's full address:
3. Names of the Directors, Proprietors, Partners, Owners, etc., of the Applicant:
4. List of Artificial Insemination Technicians trained by the Applicant (prescribed format):
5. Registration number of Artificial Insemination Training Institute, in case of renewal with copy of the registration.
6. Registration/ Renewal Fee Details: Amount:

Particulars:	If Cash then,	If DD then,
	Money Receipt No.	DD no.
		Date:
		Bank:
		Branch Name:

I/we hereby undertake to comply with all the provisions of the Bihar Animal Breeding Regulation Act, 2025.

Name of Authorised Person:

Designation:

Place:

Date :

Signature

FORM - H

Certificate of Registration of Artificial Insemination Technician Training Institute under the Bihar Animal Breeding Regulation Act, 2025.

This registration shall be displayed in a prominent and conspicuous place of business premises

Name

Registration Number:

Address of the holder of registration certificate:

Registration valid from
_____ to _____
(Three years)

Registration is granted subject to the provisions of the Bihar Animal Breeding Regulation Act, 2025.

The holder of registration certificate shall comply with all the directions and conform to the specifications issued by the Registration Authority from time to time.

Place: _____

Date: _____

(Registration Authority)

Half yearly return for Semen Station

1. Registration No: _____ Date of Issue: _____
2. Name of the holder of Certificate of Registration: _____
3. Address of the Holder of Certificate: _____
4. Name of Semen Station: _____
5. Address of Semen Station: _____
6. Period of reporting: _____
7. Months (April -September) / October-March) _____
8. Present Capacity of Semen Production (Semen doses in lakh): _____
9. Number of bulls under semen collection: _____
10. Details of bulls under semen collection:
 - A. Certified Bulls under semen collection:

Identification No. of Bull	Breed	Doses produced

B. Bulls proposed for certification

Identification No. of Bull	Breed

C. Herd Strength

	Opening	Closing
Males:		
Quarantine		
Rearing		
Training		
Collection		
Isolation		
Females:		

D. Details of diagnostic tests conducted for the entire herd:

Disease	No. of animals tested	No. of animals found positive	Disposal details
TB			
JD			
Brucellosis			
IBR			
Campylobacteriosis			
Trichomoniasis			
IBR			

11. Quarantine facility:

Has the Semen Station a quarantine station: Yes/ No

Capacity of quarantine station (no. of bulls): _____

12. Rearing facility;

Has the Semen Station a rearing station: Yes/ No

Capacity of the rearing Station (no. of bulls): _____

FORM - J

(Details of new bulls proposed for certification)

1. Registration No. of Semen Station: _____ Date of Issue: _____
2. Name of the holder of Certificate of Registration: _____
3. Address of Holder of Certificate: _____
4. Name of Semen Station: _____
5. Address of Semen Station: _____
6. Details of bulls proposed for certification:

Sr. No	Bull ID	Age	Breed	Negative as per Schedule II-B (1) (Yes/No)	Meeting minimum production standards as per guidelines issued by GOI (Yes/No)

We certify that the above information is true and correct.

Place

Date

Name of Authorised person

Signature

FORM - K

Monthly Report for AI Service Provider

Registration No: _____ Date of issue: _____

1. Name of the holder of Certificate of Registration: _____
2. Address of Holder of Certificate: _____
3. Name of AI Service Provider: _____
4. Month of Reporting: _____
5. Sources, usage and stock of semen doses:

Name of semen Station	Breed	No. of doses purchased	No. of doses issued	No. of doses used	No. of doses in stock

6. Area of operation:

State: _____, Districts: _____

State: _____, Districts: _____

7. Number of AI Technicians engaged: _____

8. Performance:

Fresh inseminations (1 st AI/ET)				Total No. of AI's/ET's (1 st and repeat)				Concepti-on %	
Indigenous Cattle	CB	Buff	Total	Indigenous Cattle	CB	Buff	Total	New AI/ET	Total

9. No. of veterinarians engaged: _____

We certify that all AI technicians engaged by us meet the criteria of qualification and experience prescribed by the Registration Authority to perform artificial insemination in bovines. We also certify that all information provided above is true.

Place:

Date:

Name of Authorised person

Signature

~~Page 10~~

- | S. No. | Name of all Technicians
present certificate | Permanent
address | Name of Registered all
service provider with
which the all Technician is
registered |
|--------|--|----------------------|--|
| | | | |

Name: _____

Date: _____

Name of Authorized person

Summary:

FORM- M

TRANSFER OF AIT ARTIFICIAL INSEMINATION SERVICE PROVIDER

1. Registration No: _____ Date of Issue: _____
2. Name of the holder of Certificate of Registration: _____
3. Address of the Certificate Holder: _____
4. Name of Artificial Insemination Service Provider currently working under: _____
5. Name of Artificial Insemination Service Provider the mentioned AIT wants to shift under: _____
6. No. of years worked under current AI Service Provider: _____
7. Transfer Fee Details: Amount: _____

Particulars:	If Cash then,	If DD then,
	Money Receipt No.	DD no.
		Date:
		Bank:
		Branch Name:

8. Reason to shift to other AI Service Provider _____
9. Is the mentioned AITs trained from registered AI Training Institute: _____
We also certify that all information provided above is true.

Place:

Place:.....

Date:

Date:.....

Name & Signature of Authorised
Person.....Name & Signature of Authorised
Person.....(From the AI Service Provider
Currently Working in)(From the AI Service Provider the
AIT will Shift his/her Service)ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1353-571+400-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>